राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक एफ–5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/सामु.भवन/18–19/35363-71 दिनांक : 21/10/19

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाडा।

विषय : सामुदायिक भवन निर्माण की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति पत्रांक 11000–30 दिनांक 28.02.2019 द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई।

कार्यकारी एजेन्सी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने पर निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या–2 मे वर्णित कार्यो हेतु कॉलम संख्या–6 मे अंकित राशि की निम्नानुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है–

कार्यकारी एजेन्सी–ग्राम पंचायत (राशि लाख रू. मे)

क्र. स.	सामुदायिक भवन निर्माण का नाम	ग्रा.पं.	पंस.	तकनीकी स्वीकृति	
				क्र/दि	राशि
1	2	3	4	5	6
1	सामु. भवन निर्माण सोमेश्वर/कालू गरासिया के घर के पास, ग्राम शक्करवाडा	शक्करवाडा	सज्जनगढ़	JTA/PS/ sajjangarh/ 22/05.03.19	5.00
2	सामु. भवन निर्माण शीतला माता मंदिर के पास, ग्राम राठ धनराज	राठ धनराज	सज्जनगढ़	JTA/PS/ sajjangarh/ 23/05.03.19	5.00
3	सामु. भवन निर्माण ग्राम कुम्भपुरा	खुंटा चतरा	सज्जनगढ़	JTA/PS/ sajjangarh/ 24/05.03.19	5.00
			योग		**15.00**

विभागीय पत्रांक 34260–86 दिनांक 24.09.2018 द्वारा जिला बांसवाडा मे स्वीकृत गोविंद गुरू सामुदायिक निर्माण कार्य हेतु केन्द्रीय प्रवृर्तित योजना मद अर्न्तगत शासन की स्वीकृति संख्या–87/2015–16 से परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा को राशि रू. 99.82 लाख हस्तांतरित किये गये। यह कार्य निरस्त होने से हस्तांतरित राशि रू. 99.82 लाख मे से उपरोक्त तालिका मे वर्णित सामुदायिक भवन निर्माण कार्यो हेतु व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शर्ते :–

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य सार्वजनिक एवं निर्विवाद भूमि पर कब्जा प्राप्त कर प्रारंभ कराया जावे। प्रस्तावित सामुदायिक भवन से अधिकांश जनजाति आबादी लाभान्वित हो। निर्माण पश्चात् सामुदायिक भवन का संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही राशि हस्तांतरित की जावे।

कृ.पृ.उ.

3. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तो के अनुसार कार्य का सम्पादन **गुणवत्तापूर्वक** किया जाने हेतु तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें। **आर.सी.सी फ्रेम स्ट्रक्चर निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जावें।**
5. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
6. जिन कार्यो की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत नियुक्त की गई है परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विभाग इन कार्यो हेतु राशि का हस्तान्तरण संबंधित पंचायत समिति को करेंगे।
7. कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावे।

भवदीय

(शिवांगी स्वर्णकार)I.A.S
आयुक्त

क्रमांक एफ–5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/सामु.भवन/18–19/ 39363-71 दिनांक : 2/10/19
प्रतिलिपि–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर बांसवाडा।
4. निदेशक मॉनिटरिंग कार्यालय हाजा।
5. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा।
6. विकास अधिकारी पंचायत समिति सज्जनगढ जिला बांसवाडा।
7. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)